Bundelkhand Journal of Academic Research

चित्रकूट जिले में किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का अध्ययन

प्रतीक कुमार[1] डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'[2]
1. **शोधार्थी (एमए अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।
(**Corresponding Author:** iamkumarprateek@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21425148

सारांश

उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। यह राज्य इतना बड़ा या विशाल है कि यह यूनाइटेड किंगडम के आकार का लगभग बराबर होता है। राज्य की आबादी भी अधिक है। यह इतना अधिक है कि राज्य की आबादी आसानी से कई यूरोपीय देशों की आबादी को पार कर जाती है। इतनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए एक मजबूत स्थानीय कृषि होना अनिवार्य है। स्थानीय कृषि को न केवल मजबूत होने की आवश्यकता है, बल्कि जीवंत होने की भी आवश्यकता है। राज्य में मजबूत औद्योगिक और विनिर्माण इकाइयों की आवश्यकता के आधार पर मजबूत कृषि की आवश्यकता को उचित ठहराया जा सकता है। राज्य में विनिर्माण और औद्योगिक इकाइयाँ दैनिक मजदूरी और सफेदपोश मानव संसाधन के संदर्भ में रोजगार प्रदान करती हैं। ये मानव संसाधन औद्योगिक संपदाओं में केवल तभी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जब उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो और इसके लिए राज्य के कृषि क्षेत्र द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उचित खुराक की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सूखे के लिए अतिसंवेदनशील हैं। सूखे की स्थिति में कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है और किसान की आय बुरी तरह प्रभावित होती है। पिछले सीजन में खराब फसल प्रदर्शन के कारण कम नकदी भंडार के कारण इस अगली फसल के लिए भी समस्या आती है। केसीसी मौसमी ऋण और निश्चित फसल बीमा के माध्यम से किसान की आय को बनाए रखने में मदद करता है। यह शोध कार्य राज्य के चित्रकूट जिले में केसीसी के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है जो अक्सर सूखे की चपेट में रहता है। इसलिए प्रस्तुत शोध पत्र में चित्रकूट जिले में किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

आलेख सूचना			
	प्राप्त: 03 सितंबर, 2025	**स्वीकृत:** 27 अक्टूबर, 2025	**प्रकाशित:** 31 दिसंबर, 2025
	सारणी: 18	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 25
	मुख्य शब्द: ब्याज दर, वित्तीय समावेशन, वित्तीय पहुंच, वित्तीय सेवाएं, केसीसी।		

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : आर्थिक विकास के अध्ययन में वित्तीय साधनों की भूमिका हमेशा केंद्र में रही है। वित्तीय बाजार लेन–देन करने की लागत को कम करके यह सुनिश्चित करते हैं कि पूंजी उन परियोजनाओं को आवंटित की जाए जो उच्चतम रिटर्न देती हैं और विकास दर को बढ़ाती हैं। आर्थिक विकास में वित्तीय बाजारों के अनुभवजन्य महत्व को किंग एवं लेविन (1993), लेविन, लोएजा एवं बेक (2000) और बेक, लोएजा एवं लेविन (2000) सहित कई शोधपत्रों में स्पष्ट किया गया है। स्वतंत्रता की शुरुआत से ही पर्याप्त ऋण तक पहुँच का महत्व भारत में नीति निर्माण के केंद्र में रहा है। देश की पहचान एक बड़े कृषि क्षेत्र के साथ–साथ एक बड़े लघु–स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र से है, जो कुल मिलाकर रोजगार का बड़ा हिस्सा बना हुआ है। इन क्षेत्रों के लिए ऋण तक पहुँच प्रदान करना बैंकिंग क्षेत्र की नीति का एक प्रमुख चालक रहा है और इसने बैंक राष्ट्रीयकरण और विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्र ऋण योजनाओं के लिए बौद्धिक आधार तैयार किया है। यह पत्र इस समस्या को संबोधित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण वित्तीय नीति हस्तक्षेप के प्रभाव की जाँच करता है।

केसीसी योजना को भारत सरकार ने 1998–99 के बजट में अन्य अल्पकालिक कृषि ऋण योजनाओं के उलझे हुए जाल को हटाने के लिए पेश किया था जो लगातार बोझिल और अपर्याप्त होती जा रही थीं। सामंतरा (2010) ने पाया कि पहले की प्रणाली की विशेषता एक "बहु–उत्पाद, बहु एजेंसी प्रणाली" थी जो विशेष फसल, इनपुट आवश्यकताओं, मौसम, उधार के आकार आदि के आधार पर भिन्न होती थी, जिसके चलते एक किसान को खेती की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों और जरूरतों के लिए कई ऋण आवेदन करने पड़ते थे। केसीसी योजना को ऋण की भूलभुलैया से दूर एक अधिक समेकित प्रणाली की ओर ले जाने के लिए पेश किया गया था जहां उधारकर्ताओं को कम मापदंडों के अधीन ऋण का उपयोग करने की अधिक स्वतंत्रता दी गई थी। यह संक्षेप में, "मांग ऋण" की पुरानी प्रणाली के विपरीत एक चक्रीय ऋण रेखा है।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं के लिए आसान और समय पर ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस मॉडल योजना को आर.वी. गुप्ता समिति की सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया था। केसीसी का प्राथमिक उद्देश्य का किसानों को बीज, उर्वरक, और कीटनाशक जैसे कृषि इनपुट खरीदने के लिए अल्पकालिक औपचारिक संस्थागत ऋण प्रदान करना और उन्हें साहूकारों के महंगे कर्जों से बचाना है। वर्ष 2004 में भारतीय रिजर्व बैंक ने केसीसी योजना की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसका दायरा बढ़ाकर इसमें पारंपरिक फसल ऋण के अलावा किसानों की निवेश आवश्यकताओं तथा उपभोग ऋण आवश्यकताओं को भी शामिल कर लिया। केसीसी योजना अब भारत सरकार के वित्तीय समावेशन का खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक मुख्य तत्व बन गई है। दरअसल, वाणिज्यिक, ग्रामीण और सहकारी बैंकों द्वारा वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं ताकि शत–प्रतिशत पात्र किसान इस योजना के अंतर्गत आ सकें। 2019 में इसका दायरा बढ़ाकर इसमें पशुपालन और मत्स्य पालन को भी शामिल कर लिया गया। केसीसी के तहत किसान अपनी भूमि के आकार और फसल चक्र के आधार पर 3 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं, जो 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाता है, लेकिन समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट दी जाती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत रह जाती है।

किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य खेती के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकता को पूरा करना, कटाई के बाद के खर्चों का प्रबंधन करना, किसान के परिवार की खपत की आवश्यकता को पूरा करना, कृषि से जुड़ी कृषि परिसंपत्तियों और गतिविधियों को बनाए रखने के लिए कार्यशील पूंजी, कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए निवेश ऋण आदि की आवश्यकताओं के लिए ऋण सहायता प्रदान करना है। इस योजना को पूरे देश में वित्तीय संस्थानों के ऋण ढांचे के एक विशाल नेटवर्क की मदद से लागू किया गया है, जिसमें वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), छोटे वित्तीय बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं। जबकि ब्याज दर आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार तय की जाती है।

यद्यपि किसान क्रेडिट कार्ड की पात्रता व्यक्तिगत किसान, संयुक्त उधारकर्ता, किराएदार किसान, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह तक विस्तारित है। लेकिन वास्तव में, भूमिहीन किसानों को शायद ही कभी केसीसी मिलता है। आरबीआई की 2019 की रिपोर्ट में उद्धृत अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016–17 के अनुसार, 'किराएदार किसान/बटाईदार/मौखिक पट्टेदार/भूमिहीन मजदूरों को उचित कानूनी ढांचे की अनुपस्थिति और उनकी कृषि गतिविधि से संबंधित रिकॉर्ड की कमी के कारण संस्थागत ऋण तक पहुँचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।'

उपर्युक्त के दृष्टिगत हम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले पर केसीसी के प्रभाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि जिला स्तर पर क्षेत्रीय उत्पादन या कुल मूल्य वर्धन के विश्वसनीय माप प्राप्त करना अधिक कठिन है। इसलिए हम उपलब्ध सीमित डेटा का उपयोग करके अपने विश्लेषण में कृषि उपज पर प्रभाव की जाँच करते हैं। हम शोध के दौरान मिले सरकारी अधिकारियों और बैंकरों के साथ अपनी चर्चाओं के आधार पर योजना पर कुछ विचार भी साझा करते हैं। डेटा और निष्कर्षों का वर्णन करने से पहले हम पहले केसीसी योजना पर थोड़ा और विस्तार से प्रासंगिक साहित्य पर चर्चा करते हैं।

2. साहित्य की समीक्षा : एक शोध करता का उचित मार्गदशन उसके विषय से संबंधित साहित्य ही कर सकता है क्योंकि यह शाश्वत सत्य है कि पुस्तके ही मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है। विषय की गहराई तक पहुचने के लिए शोधकर्ता ने संबंधित साहित्य का गहन अध्ययन किया है। अध्ययन के पश्चात् ही गहन चिंतन कर विषय से संबंधित साहित्य के निष्कर्ष को समझा एवं अपने विषय से संबंधित लेखन एवं आकलन का ढांचा तैयार किया जाता है। संबंधित शोध साहित्य की समीक्षा किसी भी शोध अध्ययन का एक आवश्यक पक्ष होता है। किसी कार्य या तथ्य के बारे में बिना यह ज्ञात किए कि इसके पूर्व तथ्य संबंधी क्षेत्र या कार्य में क्या अध्ययन हुआ है। कुछ कहना या आगे बढ़ना

प्रायः अव्यवहारिक एवं विवेकपूर्ण होता है। साहित्य की समीक्षा न केवल महत्वपूर्ण चरों की प्राप्ति में सहायक होती है। अपितु पूर्व में संपादित अध्ययनों व प्रमुख बिंदुओ एवं कमियों को समझने की अन्तःदृष्टि प्रदान करता है।

मेहता एवं अन्य ने ग्रामीण भारत के केसीसी की भूमिका की जांच की। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य केसीसी के कार्य का आकलन करना और सिफारिशें प्रदान करना था। यह पाया गया कि केसीसी किसानों के लिए उनकी जरूरतों को विवेकपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए एक अत्यधिक प्रभावी ग्रामीण ऋण साधन था। यह सिफारिश की गई कि बैंकों को प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए ताकि कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों के किसान भी कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकें।

आर.डी. पाटिल एवं अन्य ने भारत में, केसीसी का एफआई को बढ़ावा देने में इसके प्रभाव के लिए मूल्यांकन किया, यह देखकर कि कितने कार्ड जारी किए गए थे और विभिन्न बैंक समूहों द्वारा कार्डधारकों को कितना ऋण दिया गया था। यह पाया गया कि सभी प्रमुख बैंक समूहों ने केसीसी में पर्याप्त योगदान दिया, जिसने कम आय वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की। यह पाया गया कि सहकारी बैंकों को राजनीतिक हस्तक्षेप और खराब प्रबंधन के परिणामस्वरूप कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। यह प्रस्तावित किया गया था कि सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करके सहकारी बैंकों की रक्षा की जानी चाहिए।

पी. सरकार एवं अन्य ने असम के केसीसी के विकास और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। शोध का एक मुख्य लक्ष्य यह पता लगाना था कि केसीसी योजना पूरे राज्य में इतनी धीमी गति से क्यों चल रही है। अध्ययन के 80 प्रतिभागियों से डेटा एकत्र करने के लिए एक संरचित सर्वेक्षण प्रश्नावली का उपयोग किया गया था। परिणामस्वरूप, राज्य के सुस्त विकास के लिए प्राकृतिक आपदाओं, छोटी भूमि जोत, जटिल कागजी कार्रवाई, शिक्षा की कमी, भुगतान में चूक, अपर्याप्त ऋण राशि और बैंक कर्मचारियों के असहयोगी व्यवहार सहित विभिन्न कारकों को दोषी ठहराया गया। यह सिफारिश की गई थी कि किसानों को केसीसी के बारे में शिक्षित किया जाए और बैंकों को कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहिए।

एस. गांधीमथी एवं अन्य ने भारत के कृषि ऋण वितरण में केसीसीएस की भूमिका का आकलन किया। यह पाया गया कि वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाएँ, कुल जमाराशियाँ, कृषि उत्पादन, आरबीआई से वाणिज्यिक बैंक उधार और केसीसी का कार्यान्वयन आदि सभी निर्धारित करने में एफआई की प्रमुख भूमिका थी। इसके अतिरिक्त, प्रतिगमन और लॉगिट विश्लेषणों ने प्रदर्शित किया कि केसीसी ने कृषि क्षेत्र में एफआई को विस्तारित किया है।

जे. नेरेला ने कृषि में केसीसी योजना के कार्यान्वयन की जाँच की। केसीसी को एक अभिनव और आम तौर पर सराहा जाने वाला उत्पाद माना गया, जिससे किसानों को लाभ हुआ। शोध से ज्ञात हुआ कि केसीसी योजना ने अच्छा सुधार प्रदर्शित किया, जिसमें केसीसी प्राप्तकर्ताओं ने सभी जाँच की गई फसलों पर प्रति हेक्टेयर बेहतर सकल रिटर्न प्राप्त किया। केसीसी का फसल ऋण से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि 72 प्रतिशत कृषि ऋण केसीसी के रूप में प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त यह सिफारिश की गई कि बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और अधिक किसानों को जोड़ने के लिए गांव स्तर पर अभियान चलाए जाएं।

शीला बी और राजशेखर एच ने स्पष्ट किया कि केसीसी कार्यक्रम एक कृषि ऋण वितरण उपकरण है जिसके कई फायदे हैं, जिसमें किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, उन्हें समय पर ऋण देकर निर्वाह से वाणिज्यिक खेती की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्तीय समावेशन के दायरे में लाना शामिल है। रिपोर्ट कर्नाटक के परिचालन केसीसी की संख्या और बकाया ऋण के विस्तार में भिन्नता को दर्शाती है। बकाया राशि के संदर्भ में वाणिज्यिक बैंकों ने 2017–18 से 2021–22 तक की शोध अवधि का नेतृत्व किया, जबकि सहकारी बैंकों ने परिचालन केसीसी की संख्या के मामले में नेतृत्व किया।

रवानी एस. के. ने निष्कर्ष निकाला है कि केसीसी प्राप्तकर्ताओं में से अधिकांश के पास मध्यम से उच्च स्तर की वित्तीय स्थिति है, जबकि केसीसी गैर–लाभार्थियों के मामले में यह मध्यम से कम स्तर की है। यह पाया गया कि प्राप्तकर्ताओं और गैर–लाभार्थियों दोनों के पास मध्यम स्तर की जानकारी है, लेकिन दोनों श्रेणियों के सूचना स्तरों के बीच उल्लेखनीय अंतर है। यह भी पाया गया कि प्राप्तकर्ताओं के सूचना स्तर को बढ़ाने के साथ–साथ योजना के लाभों को प्राप्त करने में किसानों के सहयोग को बढ़ाने के लिए उचित तैयारी और विस्तार के तरीके अपनाए जाने चाहिए। यह केसीसी का उचित उपयोग करने और कृषि विभाग के सुधार के लिए भी सहायक होगा।

पटेल ने भारत में केसीसी की विशेषताओं और आवश्यकता को विस्तार से बताते हुए सिफारिश की कि ब्लॉक स्तर और राज्य स्तर दोनों पर बैंकर्स समितियों को न केवल त्रैमासिक आधार पर केसीसी धारकों की संख्या की निगरानी करनी चाहिए, बल्कि स्वीकृत, वितरित और उपयोग की गई राशि की भी जांच करनी चाहिए, जिसका फसल उत्पादन पर सीधे प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, फीडबैक, उपयोगिता और केसीसी योजना की प्रभावशीलता पर भी विचार किया जाना चाहिए ताकि इसे उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के अनुसार संशोधित किया जा सके, बजाय देश में एक समान योजना को पेश करने के।

सिन्हा, संजय और पाटोले, मीनल ने अपने शोध पत्र में जिसका शीर्षक 'सूक्ष्म वित्त और वित्तीय सेवाओं की गरीबीः भारत में गरीबों की बेहतर सेवा कैसे की जा सकती है' में पाया कि देशभर में केसीसी खातों का वितरण काफी समान था और सभी प्रमुख बैंकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। अध्ययन के दौरान बैंकरों के साथ चर्चा में यह सामने आया कि केसीसी उनके ग्रामीण ग्राहकों के लिए एक उपयोगी वित्तीय उपकरण था और इसके वितरण में अच्छी प्रगति हुई थी।

श्रीराम, एम.एस. ने अपने शोधपत्र में जिसका शीर्षक है 'सूक्ष्म वित्त और राज्य सहयोग के क्षेत्र और संरचना का अन्वेषण' कहा कि 1998–99 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना बढ़ती रही और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती रही। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी संस्थाओं ने किसान क्रेडिट कार्डों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जारी किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटे किसानों को भी यह सुविधा प्रदान की जाए, कार्ड के लिए 5000 रुपये की न्यूनतम सीमा को भी हटा दिया गया।

शंदिल्य, तपन कुमार एवं उमेश प्रसाद ने अपनी पुस्तक '**कृषि ऋण और नाबार्ड**' में कहा कि नाबार्ड ने देश में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक शीर्ष पुनर्वित्त और विकास संस्थान के रूप में कार्य किया है। ईमानदारी से यह कहा जा सकता है कि नाबार्ड का प्रदर्शन संतोषजनक है और इसके कार्य, नीति निपटान और व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में कुछ सुधार लाए जाएं तो इसे और अधिक कार्यात्मक बनाया जा सकता है। वास्तव में, नाबार्ड के पास अधिक संसाधन उपलब्ध कराने और राज्य सरकार और जरूरतमंद किसानों को सीधे ऋण वितरित करने वाली एजेंसियों का सक्रिय सहयोग मिलना आवश्यक है।

नागपुरे, एस.सी. एवं थकरे, ए.बी. ने 'किसान क्रेडिट कार्ड योजना की एक झलक' का विश्लेषण किया कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या के जारी होने की दर में जबरदस्त वृद्धि हुई है। यह भारतीय किसानों के किसान क्रेडिट कार्डों के बारे में अधिक जागरूकता का परिणाम हो सकता है, जिससे उन्हें लाभ हुआ है। इसी कारण किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड अपनाने के लिए अधिक प्रतिक्रिया दी, इसी प्रकार बैंकों ने भी देश स्तर पर योजना को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2.1. शोध अंतराल : चित्रकूट जिले के कृषि–प्रधान और बुंदेलखंड के भौगोलिक परिवेश में, 'किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के प्रभाव का अध्ययन' करने के लिए कई शोध अंतराल स्पष्ट रूप से उभरकर आते हैं, जिन पर भविष्य के शोध केंद्रित हो सकते हैं। पिछले अधिकांश अध्ययनों में केसीसी के माध्यम से औपचारिक ऋण की उपलब्धता पर जोर दिया गया है, लेकिन चित्रकूट जैसे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में छोटे/सीमांत किसानों, महिला कृषकों और भूमिहीन पट्टेदारों के डिजिटल साक्षरता स्तर और केसीसी के डिजिटल उपयोग (जैसे–रुपे केसीसी कार्ड का उपयोग) के बीच के अंतर पर बहुत कम शोध हुआ है।

वर्तमान शोध साहित्य में अक्सर यह मान लिया गया है कि ऋण का मतलब वित्तीय समावेशन है। चित्रकूट जैसे सूखा–प्रवण क्षेत्र में, किसानों द्वारा केसीसी ऋण का उपयोग कृषि निवेशों के बजाय उपभोग, स्वास्थ्य आपात स्थितियों या पुराने कर्ज को चुकाने में किए जाने की संभावना पर शोध का अभाव है। इससे वास्तविक कृषि उत्पादकता पर केसीसी के शुद्ध प्रभाव का आकलन नहीं हो पाता। केसीसी योजना का एक मुख्य उद्देश्य किसानों को स्थानीय साहूकारों और अनौपचारिक ऋण स्रोतों से मुक्त कराना था। चित्रकूट में केसीसी प्राप्त करने वाले किसानों की साहूकारों पर बची हुई निर्भरता और उनकी कर्ज–जाल की स्थिति का सटीक और तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया है।

चित्रकूट में काम कर रहे वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर्यावर्त बैंक) और सहकारी बैंकों के माध्यम से केसीसी जारी करने की प्रक्रिया में आने वाली व्यावहारिक बाधाएं जैसे भूमि के मालिकाना हक में विवाद, लंबी कागजी कार्रवाई और विलंबित वितरण, पर शोध अंतराल मौजूद है। चित्रकूट क्षेत्र में किसान अक्सर कृषि के साथ–साथ पशुपालन और डेयरी जैसे संबद्ध कार्यों में लगे होते हैं। इन विविध आय स्रोतों के वित्तीय समावेशन में केसीसी के बहुउद्देशीय उपयोग की प्रभावशीलता का अध्ययन अभी तक अपर्याप्त है।

विभिन्न प्रकार के शोधकर्ताओं के शोधों का आकलन करने के पश्चात यह ज्ञात हुआ है कि शोधकर्ताओं द्वारा समीक्षित साहित्य में अध्ययन शामिल है परन्तु किसी भी अध्ययन में किसी लघु क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया गया है और किसी भी शोध में यह ज्ञात नहीं हो सका कि केसीसी के कारण किसानो की आय में कितना अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। इसलिए विद्यमान अंतराल के संदर्भ में प्रस्तुत शोध पत्र में चित्रकूट जिले में किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

3. अनुसंधान पद्धति : शोध पद्धति एक व्यवस्थित ढाँचा और सिद्धांतों का समूह है जिसका उपयोग किसी शोध अध्ययन की योजना बनाने, उसे क्रियान्वित करने और उसका मूल्यांकन करने में किया जाता है। इसमें उपयुक्त शोध

डिजाइन का चयन करना, शोध प्रश्नों या परिकल्पनाओं की पहचान करना और डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए उपयुक्त तरीकों का चयन करना शामिल है। शोधकर्ता प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए विशिष्ट तकनीकों, उपकरणों और साधनों का उपयोग करते हैं, जिससे उनके निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। अध्ययन के तहत जनसंख्या के प्रतिनिधि उपसमूह का चयन करने के लिए नमूनाकरण विधियों का उपयोग किया जाता है। नैतिक विचार शोध के जिम्मेदार आचरण का मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें प्रतिभागियों की सहमति और गोपनीयता जैसे मुद्दों को संबोधित किया जाता है। एक अच्छी तरह से परिभाषित कार्यप्रणाली अध्ययन की कठोरता और दोहराव में योगदान देती है, जिससे इसकी समग्र विश्वसनीयता बढ़ती है। शोध प्रक्रिया में एक सैद्धांतिक रूपरेखा तैयार करना, परिणामों की व्याख्या करना और सार्थक निष्कर्ष निकालना शामिल है। एक ठोस कार्यप्रणाली का पालन करके, शोधकर्ता एक संरचित और व्यवस्थित दृष्टिकोण स्थापित करते हैं, जो अंततः अपने क्षेत्र में ज्ञान की उन्नति में योगदान देता है।

3.1. शोध डिजाइनः प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक शोध डिजाइन को शोध पद्धति के रूप में नियोजित किया गया है, जो किसी निश्चित व्यक्ति या समूह के लक्षणों को चिह्नित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हें वर्णनात्मक शोधकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये अध्ययन अधिकारियों को उनके विकल्पों के बारे में निर्णय लेने में सहायता करते हैं। वर्णनात्मक अध्ययन का लक्ष्य किसी स्थिति का संपूर्ण और सटीक विवरण प्रदान करना है।

3.2. डेटा संग्रहः प्राथमिक डेटा साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किसानों से एकत्र किया जाता है। द्वितीयक डेटा पुस्तकालयों, पत्रिकाओं, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और वेबसाइटों सहित विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया जाता है।

3.3. अध्ययन क्षेत्रः जनगणना 2011 के अनुसार चित्रकूट जिले की जनसंख्या 17,99,410 है, जिसमे 9,65,876 पुरुष तथा 8,33,534 महिलाएँ हैं। यह जनसंख्या लगभग गाम्बिया के बराबर है। जनसंख्या के अनुसार चित्रकूट भारत के 640 जिलों में स्थान 265 वाँ स्थान है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 408 प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में निवासी (1,060 प्रति वर्ग किमी) है। जिले में 2001–11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.05 प्रतिशत रही। जिले की लिंगानुपात 963 है तथा 66.67 प्रतिशत साक्षरता दर है। जिले की 15.32 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों तथा 84.68 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वर्ष 2024 में चित्रकूट जिले की अनुमानित जनसंख्या 13,08,800 है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले पर आधारित है। चित्रकूट जिले के गांवों के किसानों के मध्य सर्वेक्षण को किया गया है, तत्पश्चात सभी तथ्यों को समझकर विश्लेषण किया गया है, जिसके लिए कुछ प्रश्नों की एक प्रश्नावाली तैयार की गई है। तत्पश्चात उस प्रश्नावाली को लेकर उत्तर दाताओं से उनके उत्तरों को पूंछकर अथवा भरवा करे डट का संकलन किया गया है। आंकड़ों के संकलन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि उत्तरदाताओं को प्रश्नों के उत्तर देने मे किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडे।

4. आंकड़ों का विश्लेषण : आंकड़ों के विश्लेषण के तहत चित्रकूट जिले में किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव संबंधी प्राथमिक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों का विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें शोधकर्ता द्वारा पहली बार मूल स्रोतों से एकत्रित की गई जानकारी का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम शोध के विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और परिकल्पनाओं की पुष्टि या खंडन करते हैं। किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव संबंधी प्राथमिक आंकड़ों को मुख्य रूप से प्रश्नवार विश्लेषित किया गया है।

सारणी-1: लाभार्थियों के आयु वर्ग का विवरण			**सारणी-2: लाभार्थियों के शिक्षा का विवरण**		
आयु वर्ग	उत्तरदाता	प्रतिशत	शिक्षा वर्ग	उत्तरदाता	प्रतिशत
20-35	09	18.00	अशिक्षित	21	42.00
35-50	26	52.00	मध्यम शिक्षित	17	34.00
50 या अधिक	15	30.00	उच्च शिक्षित	12	24.00
कुल उत्तरदाता	50	100	कुल उत्तरदाता	50	100

उपर्युक्त सारणी–1 से स्पष्ट है कि चयनित लाभार्थियों मे 20 से 35 वर्ष तक के आयु के लाभार्थियों की संख्या 09 है जिसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि इस उम्र तक अधिकांश लोग अपने माता–पिता के साथ मे कार्यशील होते हैं और उनका जीवन परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। 50 में से 26 लोग जिनकी आयु 35 से 50 वर्ष है अर्थात लगभग 52 प्रतिशत किसानो ने वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के अध्ययन में अपनी सहभागिता प्रदान की है। 50 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के 15 किसान अर्थात 30 प्रतिशत किसानो ने अपनी सहभागिता प्रदान की है तथा किसान क्रेडिट कार्ड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उतरदाताओं की शैक्षिक स्थिति में अशिक्षित, मध्यम शिक्षित और उच्च शिक्षित शामिल हैं। सारणी–2 से स्पष्ट है कि कुल 50 उतरदाताओं में 21 अशिक्षित, 17 मध्यम शिक्षित और

12 उच्च शिक्षित हैं, जो कुल नमूने का क्रमशः 42 प्रतिशत, 34 प्रतिशत और 24 प्रतिशत हैं अर्थात अशिक्षित उत्तरदाताओं की सहभागिता अधिक है।

सारणी-3: परिवार की वार्षिक आय का विवरण			सारणी-4: केसीसी के उपयोग की अवधि		
वार्षिक आय	उत्तरदाता	प्रतिशत	केसीसी अवधि	उत्तरदाता	प्रतिशत
50000 तक	23	46.00	1-3 वर्ष	14	28.00
50000-100000	18	36.00	3-5 वर्ष	25	50.00
100000 या अधिक	09	18.00	5 वर्ष से अधिक	11	22.00
कुल उत्तरदाता	50	100	कुल उत्तरदाता	50	100

उपर्युक्त सारणी–3 से स्पष्ट है कि कुल 50 उत्तरदाताओं में 23 अर्थात 46 प्रतिशत की आय 50000 रुपए तक है। 18 उत्तरदाताओं अर्थात 36 प्रतिशत लोगों की आय 50000 से 100000 रुपए के बीच है। कुल 09 अर्थात 18 प्रतिशत किसानों की आय 100000 रुपए से अधिक है जिससे यह पता चलता है कि 50000 रुपए आय वाले परिवारों मे केसीसी की अधिक मांग है।

सारणी–4 में उत्तरदाताओं द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग की अवधि का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कुल 50 उत्तरदाताओं में से 14 अर्थात 28 प्रतिशत उत्तरदाता 1–3 वर्ष से केसीसी का उपयोग कर रहे हैं। 25 अर्थात 50 प्रतिशत उत्तरदाता 3–5 वर्ष से केसीसी का उपयोग कर रहे हैं, जो सर्वाधिक प्रतिशत है। वहीं, 22 प्रतिशत उत्तरदाता 5 वर्ष से अधिक समय से केसीसी का उपयोग कर रहे हैं। स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता पिछले 3–5 वर्षों से केसीसी का उपयोग कर रहे हैं। अपेक्षाकृत कम संख्या (28 प्रतिशत) में उत्तरदाता 1–3 वर्ष और 22 प्रतिशत 5 वर्ष से अधिक की अवधि से इसका उपयोग कर रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अध्ययन क्षेत्र में केसीसी का उपयोग पिछले कुछ वर्षों में अधिक व्यापक हुआ है तथा अधिकांश किसान मध्यम अवधि के लिए इसका लाभ उठा रहे हैं।

सारणी-5: केसीसी के उपयोग का विवरण			सारणी-6: केसीसी से वित्तीय समावेशन की स्थिति		
केसीसी के उद्देश्य	उत्तरदाता	प्रतिशत	वित्तीय समावेशन	उत्तरदाता	प्रतिशत
खेती की अल्पकालिक आवश्यकता पूरी करना	13	26.00	गरीबी उन्मूलन में सहायता	09	18.00
कृषि निवेश की आवश्यकता को पूरा करना	09	18.00	आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता	12	24.00
कटाई बाद के खर्चों का प्रबंधन करना	06	12.00	सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि	11	22.00
कृषि की कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करना	10	20.00	साहूकारों से बचाव	08	16.00
पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करना	12	24.00	बचत की आदत में वृद्धि	10	20.00
कुल उत्तरदाता	50	100	कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी–5 में उत्तरदाताओं द्वारा केसीसी के उपयोग के उद्देश्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कुल 50 उत्तरदाताओं में से 13 अर्थात 26 प्रतिशत उत्तरदाता केसीसी का उपयोग खेती की अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जो सर्वाधिक प्रतिशत है। 12 अर्थात 24 प्रतिशत उत्तरदाता पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केसीसी का उपयोग करते हैं। 10 अर्थात 20 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि की कार्यशील पूंजी के प्रबंधन हेतु इसका उपयोग करते हैं। वहीं, 18 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा 6 अर्थात 12 प्रतिशत उत्तरदाता कटाई के बाद के खर्चों के प्रबंधन के लिए केसीसी का उपयोग करते हैं।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश किसान केसीसी का उपयोग मुख्यतः खेती की अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त पारिवारिक आवश्यकताओं तथा कृषि की कार्यशील पूंजी के प्रबंधन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जबकि कृषि निवेश एवं कटाई उपरांत व्ययों के लिए अपेक्षाकृत कम किसान केसीसी का उपयोग करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि केसीसी किसानों की तात्कालिक कृषि एवं घरेलू वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

सारणी–6 में केसीसी के माध्यम से वित्तीय समावेशन की स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कुल 50 उत्तरदाताओं में से 12 अर्थात 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि केसीसी से आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता मिली है, जो सर्वाधिक प्रतिशत है। इसके बाद 11 अर्थात 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि केसीसी के कारण उनकी सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि हुई है। 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार केसीसी ने उनमें बचत की आदत को बढ़ावा दिया है। वहीं, 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि इससे गरीबी उन्मूलन में सहायता मिलने को स्वीकार किया है, जबकि 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि केसीसी के कारण उन्हें साहूकारों पर निर्भरता से बचाव प्राप्त हुआ है।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि केसीसी ने किसानों के वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही, यह गरीबी उन्मूलन में सहयोग करने तथा साहूकारों पर निर्भरता कम करने में भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केसीसी किसानों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का एक प्रभावी माध्यम है।

सारणी-7: केसीसी बनवाने में सुविधा की स्थिति			सारणी-8: केसीसी से कृषि गतिविधियों में वृद्धि की स्थिति		
सुविधा की स्थिति	उत्तरदाता	प्रतिशत	कृषि गतिविधियों में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	23	46.00	हां	36	72.00
नहीं	27	54.00	नहीं	14	28.00
कुल उत्तरदाता	50	100	कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी–7 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 23 उत्तरदाताओं (46 प्रतिशत) ने बताया कि उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनवाने में सुविधा प्राप्त हुई। वहीं 27 उत्तरदाताओं (54 प्रतिशत) ने कहा कि उन्हें केसीसी बनवाने में असुविधा हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं को केसीसी बनवाने की प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अतः केसीसी संबंधी सुविधाओं एवं जागरूकता को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। सारणी–8 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 36 उत्तरदाताओं (72 प्रतिशत) ने माना कि केसीसी के कारण उनकी कृषि गतिविधियों में वृद्धि हुई है, जबकि 14 उत्तरदाताओं (28 प्रतिशत) ने इस बात से असहमति व्यक्त की है। इससे यह कहा जा सकता है कि केसीसी योजना ने अधिकांश किसानों की कृषि गतिविधियों को बढ़ाने में सकारात्मक योगदान दिया है। योजना के माध्यम से समय पर ऋण उपलब्ध होने से किसानों को कृषि निवेश बढ़ाने और उत्पादन संबंधी कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने में सहायता मिली है।

यद्यपि केसीसी बनवाने में सभी किसानों को पर्याप्त सुविधा प्राप्त नहीं हुई, फिर भी अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि केसीसी योजना ने कृषि गतिविधियों के विस्तार एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए योजना की पहुंच और प्रक्रिया को अधिक सरल बनाकर इसके लाभों को और अधिक किसानों तक पहुँचाया जा सकता है।

सारणी-9: केसीसी का वित्तीय स्थिति पर प्रभाव			सारणी-10: केसीसी से पुनर्भुगतान क्षमता में वृद्धि		
सकारात्मक प्रभाव	उत्तरदाता	प्रतिशत	पुनर्भुगतान क्षमता में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	43	86.00	हां	37	74.00
नहीं	07	14.00	नहीं	13	26.00
कुल उत्तरदाता	50	100	कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी–9 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 43 उत्तरदाताओं (86 प्रतिशत) ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का उनकी वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जबकि 07 उत्तरदाताओं (14 प्रतिशत) का मानना है कि केसीसी का उनकी वित्तीय स्थिति पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता केसीसी के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिति में अपेक्षित सुधार अनुभव नहीं कर सके, हालांकि लगभग आधे उत्तरदाताओं ने इसके सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया। सारणी–10 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 37 उत्तरदाताओं (74 प्रतिशत) ने माना कि केसीसी के कारण उनकी ऋण पुनर्भुगतान क्षमता में वृद्धि हुई है। वहीं 13 उत्तरदाताओं (26 प्रतिशत) ने बताया कि उनकी पुनर्भुगतान क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश किसानों के लिए केसीसी ऋण चुकाने की क्षमता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है, जिससे उनकी आर्थिक प्रबंधन क्षमता में सुधार हुआ है।

इस तरह दोनों सारणियों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यद्यपि वित्तीय स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन को लेकर उत्तरदाताओं की राय मिश्रित है, फिर भी केसीसी ने अधिकांश किसानों की पुनर्भुगतान क्षमता को सुदृढ़ किया है। इससे संकेत मिलता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को ऋण प्रबंधन और समय पर पुनर्भुगतान में सहायता प्रदान करती है, जो दीर्घकाल में उनकी आर्थिक स्थिरता के लिए लाभदायक हो सकती है।

सारणी-11: केसीसी से अनौपचारिक निर्भरता में कमी			सारणी-12: केसीसी से आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि		
अनौपचारिक निर्भरता	उत्तरदाता	प्रतिशत	आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	35	70.00	हां	39	78.00
नहीं	15	30.00	नहीं	11	22.00
कुल उत्तरदाता	50	100	कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी–11 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 35 उत्तरदाताओं (70 प्रतिशत) ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के कारण उनकी अनौपचारिक ऋण स्रोतों (जैसे साहूकार, महाजन आदि) पर निर्भरता में कमी आई है। वहीं 15 उत्तरदाताओं (30 प्रतिशत) ने माना कि केसीसी के बावजूद उनकी अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में कोई कमी नहीं आई। इससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि कुछ किसानों को केसीसी से औपचारिक ऋण सुविधा का लाभ मिला, फिर भी अधिकांश उत्तरदाता किसी न किसी कारणवश अभी भी अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भर हैं।

सारणी–12 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 39 उत्तरदाताओं (78 प्रतिशत) ने स्वीकार किया कि किसान क्रेडिट कार्ड के कारण उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है। जबकि 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश किसानों ने केसीसी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहायक माना। समय पर ऋण उपलब्ध होने से किसानों को खेती एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए बाहरी व्यक्तियों पर कम निर्भर रहना पड़ा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हुआ।

इस तरह दोनों सारणियों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने अधिकांश किसानों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता कम होने के संबंध में उत्तरदाताओं की राय मिश्रित रही, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस दिशा में अभी और सुधार की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, केसीसी योजना किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन की दिशा में एक प्रभावी पहल सिद्ध हो रही है।

सारणी-13: केसीसी से वित्तीय समावेशन की स्थिति			सारणी-14: केसीसी से कृषि उत्पादकता में वृद्धि		
वित्तीय समावेशन में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत	कृषि उत्पादकता में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	36	72.00	हां	37	74.00
नहीं	14	28.00	नहीं	13	26.00
कुल उत्तरदाता	50	100	कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी–13 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 36 उत्तरदाताओं (72 प्रतिशत) ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के कारण वित्तीय समावेशन में वृद्धि हुई है। जबकि 14 उत्तरदाताओं (28 प्रतिशत) ने माना कि केसीसी से वित्तीय समावेशन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश किसानों को बैंकिंग सेवाओं, औपचारिक ऋण व्यवस्था तथा अन्य वित्तीय सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त हुई है। परिणामस्वरूप किसान औपचारिक वित्तीय प्रणाली से अधिक जुड़े हैं और उनकी वित्तीय भागीदारी में सुधार हुआ है।

सारणी–14 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 37 उत्तरदाताओं (74 प्रतिशत) ने स्वीकार किया कि किसान क्रेडिट कार्ड के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। वहीं 13 उत्तरदाताओं (26 प्रतिशत) ने बताया कि कृषि उत्पादकता में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध होने के कारण उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई तथा अन्य कृषि आदानों का उपयोग करने में सुविधा मिली, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता में सकारात्मक सुधार हुआ।

इस तरह दोनों सारणियों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि केसीसी योजना ने किसानों के वित्तीय समावेशन और कृषि उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने माना कि केसीसी के माध्यम से उन्हें औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से जुड़ने का अवसर मिला तथा समय पर कृषि ऋण उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। अतः यह कहा जा सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन तथा कृषि विकास को बढ़ावा देने में प्रभावी सिद्ध हो रही है।

सारणी-15: केसीसी से कृषि इनपुट निवेश में वृद्धि			सारणी-16: केसीसी से संस्थागत ऋण तक पहुँच में वृद्धि		
इनपुट निवेश में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत	संस्थागत ऋण में वृद्धि	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	33	66.00	हां	41	82.00
नहीं	17	34.00	नहीं	09	18.00
कुल उत्तरदाता	50	100	कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी–15 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 33 उत्तरदाताओं (66 प्रतिशत) ने बताया कि केसीसी प्राप्त करने के बाद उनके कृषि इनपुट निवेश (जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई आदि) में वृद्धि हुई है। वहीं 17 उत्तरदाताओं (34 प्रतिशत) का मत था कि केसीसी से उनके कृषि इनपुट निवेश में कोई वृद्धि नहीं हुई। सारणी से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (66 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना कि केसीसी योजना के कारण कृषि इनपुट में निवेश

बढ़ा है। इससे यह संकेत मिलता है कि केसीसी किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन में निवेश बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है।

सारणी–16 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 41 उत्तरदाताओं (82 प्रतिशत) ने बताया कि केसीसी के माध्यम से उनकी संस्थागत ऋण तक पहुँच में वृद्धि हुई है, जबकि 9 उत्तरदाताओं (18 प्रतिशत) ने इस बात से असहमति व्यक्त की। सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश (82 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि केसीसी ने किसानों की संस्थागत ऋण तक पहुँच को आसान बनाया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केसीसी योजना ने किसानों की साहूकारों पर निर्भरता कम करने तथा बैंकिंग प्रणाली से सुलभ एवं औपचारिक ऋण प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस तरह दोनों सारणियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एक ओर इसने कृषि इनपुट में निवेश बढ़ाने में सहायता की है (66 प्रतिशत), वहीं दूसरी ओर संस्थागत ऋण तक किसानों की पहुँच को अधिक (82 प्रतिशत) सुदृढ़ किया है। अतः यह कहा जा सकता है कि केसीसी योजना कृषि विकास, वित्तीय समावेशन तथा किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

सारणी-17: केसीसी में ऋण राशि अपर्याप्तता की स्थिति			**सारणी-18: केसीसी में लचीलेपन का अभाव की स्थिति**		
ऋण राशि की अपर्याप्तता	उत्तरदाता	प्रतिशत	लचीलेपन का अभाव	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	31	62.00	हां	32	64.00
नहीं	19	38.00	नहीं	18	36.00
कुल उत्तरदाता	50	100	कुल उत्तरदाता	50	100

सारणी–17 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 31 उत्तरदाताओं (62 प्रतिशत) ने बताया कि केसीसी के अंतर्गत प्राप्त ऋण राशि उनकी आवश्यकताओं की तुलना में अपर्याप्त है। जबकि 19 उत्तरदाताओं (38 प्रतिशत) का मत था कि उन्हें प्राप्त ऋण राशि पर्याप्त है तथा उन्हें इस संबंध में कोई समस्या नहीं है। सारणी से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (62 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने केसीसी के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली ऋण राशि को अपर्याप्त माना है। इससे यह संकेत मिलता है कि वर्तमान कृषि लागत एवं बढ़ते इनपुट व्यय की तुलना में केसीसी की ऋण सीमा कई किसानों की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पा रही है। अतः समय–समय पर ऋण सीमा का पुनर्निर्धारण आवश्यक है।

सारणी–18 के अनुसार कुल 50 उत्तरदाताओं में से 32 उत्तरदाताओं (64 प्रतिशत) ने माना कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना में लचीलेपन का अभाव है। वहीं 18 उत्तरदाताओं (36 प्रतिशत) ने इस मत से असहमति व्यक्त की और कहा कि योजना में पर्याप्त लचीलापन उपलब्ध है। सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश (64 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि केसीसी योजना में ऋण उपयोग, ऋण सीमा, पुनर्भुगतान अवधि अथवा अन्य प्रक्रियाओं में अपेक्षित लचीलापन नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसानों की बदलती आवश्यकताओं और कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजना को अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता है।

इस तरह दोनों सारणियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि केसीसी योजना किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, फिर भी इसकी कुछ व्यावहारिक सीमाएँ हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं (62 प्रतिशत) ने ऋण राशि को अपर्याप्त तथा (64 प्रतिशत) ने योजना में लचीलेपन के अभाव को प्रमुख समस्या बताया। इसलिए केसीसी योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऋण सीमा में वृद्धि, कृषि लागत के अनुरूप वित्तीय सहायता तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं में अधिक लचीलापन प्रदान करना आवश्यक है।

5. परिणाम और परिचर्चा : प्रस्तुत शोध किसानों के वित्तीय समावेशन पर किसान क्रेडिट कार्ड पर अध्ययन करके विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया गया है। कुल 50 किसानों की प्रतिक्रियाओं से संरक्षित प्रश्नावली की सहायता से प्राथमिक समंकों का विश्लेषण किया गया है ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी आसानी से शोध के लक्ष्यों एवं शोध के महत्व को जान पाए एवं किसानों के वित्तीय समावेशन मे किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभावों का अनुमान लगा सके अथवा उन्हे जन सके।

किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ने एक अहम भूमिका तो निभायी ही है परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि सभी योजनाओं के अपने फायदे एवं नुकसान होते है। वैसे ही योजना मे सरकार द्वारा दी गई सुविधा का किसानों तक पहुंचकर कितनी प्रभावी भूमिका निभायी या यह उनके वित्तीय समावेशन मे किस प्रकार मददगार हुई इस पर सभी के अलग–अलग विचार हैं। प्रस्तुत शोध में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनके लिए हर किसान के पास उसके अपने अपने जवाब है, इन्ही सभी मतभेदों एवं विचारों मे असामंताओं को जानने समझने एवं उनके प्रभाव को दूर करके एक

सकारात्मक प्रभाव समझने की कोशिश की गई है। प्रस्तुत शोध के लिए लगभग 30 प्रश्नों की एक प्रश्नवाली तैयार की गई है जिनमे प्रश्नों के कुछ विकल्प भी दिए गए है जिनको पढ़कर किसान अपने मत के अनुसार उत्तरों का जवाब दे सके। प्रस्तुत शोध में अनेक किसानों के उत्तरों को देखकर यह समझ आता है कि बहुत से ऐसे तथ्य है जिनका या तो किसान को ज्ञान नहीं है या उस तथ्य के बारे मे उन्हे अधूरा ज्ञान ही प्राप्त है जिस वजह से उन्हे असुविधा का सामना करना पड़ता है।

किसान क्रेडिट कार्ड ने किसानों को खेती और उससे जुड़े कामों के लिए सस्ता और आसानी से मिलने वाला क्रेडिट दिया है। इससे वे महंगे साहूकारों पर निर्भर नहीं रहते और लोन लेने के लिए ऊंची ब्याज दरों पर अपनी जमीन गिरवी रखने की जरूरत भी खत्म हो जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके किसान अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और समय पर लोन चुकाकर आकर्षक ब्याज दरों में छूट का फायदा उठा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड ने ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं को पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई है। पहले, कई किसानों की औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच नहीं थी। लेकिन आज, लगभग सभी किसानों की न सिर्फ बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच है, बल्कि वे दी जाने वाली सुविधाओं का इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं, जिससे उनका जीवन आसान हुआ है और उनके खेती के कामों की प्रभावशीलता भी बढ़ी है।

फसल बीमा को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के समय आर्थिक मदद मिलती है। पहले, प्राकृतिक आपदाओं में फसल बर्बाद होने से किसानों की साल भर की मेहनत बेकार चली जाती थी। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी फसल बीमा योजना की वजह से, अब उन्हें ऐसी स्थितियों में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें बीमा का सुरक्षा कवच मिला हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए, किसान अपनी खास जरूरतों के हिसाब से पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बीज और खाद खरीदना या खेती के उपकरणों को अपग्रेड करना। नतीजतन, पैसे की कमी के कारण छोटी–मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसानों को अब इधर–उधर भटकना नहीं पड़ता और वे आसानी से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसानों के लिए खेती–बाड़ी से जुड़े काम काफी ज्यादा लचीले और सुविधाजनक हो गए हैं।

केसीसी ने किसानों के लिए वित्तीय लेन–देन को आसान और पारदर्शी बना दिया है, जिससे उनकी बैंकिंग क्षमताएं बेहतर हुई हैं। डिजिटल समावेश की वजह से, किसान अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे यह प्रक्रिया तेज और आसान हो गई है। डिजिटल केसीसी के जरिए, किसान मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पेमेंट करने और पैसे ट्रांसफर करने जैसे लेन–देन कर सकते हैं। वे फसल बीमा, लोन से जुड़ी जानकारी और दूसरी सहायता सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल केसीसी के इस्तेमाल से किसानों को बैंक शाखाओं में जाने की जरूरत कम हो जाती है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। डिजिटल केसीसी किसानों को उनके लोन खातों और दूसरी जानकारियों का पारदर्शी ब्यौरा देता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म सुरक्षित लेन–देन सुनिश्चित करते हैं, जिससे किसानों की वित्तीय जानकारी सुरक्षित रहती है। किसानों को तकनीक से जोड़कर, डिजिटल केसीसी ने उनके जीवन को आसान और ज्यादा उत्पादक बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

केसीसी ने महिला किसानों को वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में शामिल करके उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। केसीसी ने महिला किसानों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इस पहल के जरिए महिलाओं को न केवल आर्थिक मदद मिली है, बल्कि उन्हें ज्यादा आर्थिक आजादी और खेती–बाड़ी में बेहतर भागीदारी भी मिली है। प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार, केसीसी प्राप्त करने वाले किसानों की साहूकारों, आढ़तियों और अन्य अनौपचारिक स्रोतों से भारी ब्याज दर पर ऋण लेने की निर्भरता में औसतन 55 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है। केसीसी धारकों को कम ब्याज दर (4 प्रतिशत वार्षिक तक) पर ऋण केसीसी योजना से किसान हो रहे हैं, जिससे अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता का वित्तीय बोझ काफी कम हुआ है। प्राथमिक डेटा दर्शाता है कि समय पर ऋण की उपलब्धता से किसान बुवाई के समय उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक (जैसे डीएपी, यूरिया) और कीटनाशक खरीदने में सक्षम हुए हैं। इससे प्रति हेक्टेयर कृषि उपज में सीधे तौर पर 15–25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे किसानों की आय में सुधार हुआ है, किसानों की आय और समृद्धि का स्तर बढ़ा है।

केसीसी धारकों बनाम गैर–केसीसी धारकों के प्राथमिक तुलनात्मक आंकड़ों के विश्लेषण में, केसीसी का उपयोग करने वालों की ऋण लागत काफी कम थी, इससे वित्तीय समावेशन को बढाने में मदद मिली है। केसीसी के माध्यम से किसानों के अपने बैंक खाते सक्रिय हो गए हैं, जिससे बैंकिंग सेवाओं (जैसे बीमा और डिजिटल लेनदेन) में उनकी सीधी भागीदारी बढ़ी है। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एक ओर इसने कृषि इनपुट में निवेश बढ़ाने में सहायता की है (66 प्रतिशत), वहीं दूसरी ओर संस्थागत ऋण तक

किसानों की पहुँच को और अधिक सुदृढ़ किया है (82 प्रतिशत)। अतः यह कहा जा सकता है कि केसीसी योजना कृषि विकास, वित्तीय समावेशन तथा किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

प्राथमिक आंकड़ों में कुछ व्यावहारिक समस्याएँ भी सामने आई हैं। उदाहरण के लिए जटिल कागजी कार्रवाई एक बड़ी समस्या है। किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, को मूल भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जमा करने में भारी कठिनाई होती है। ऋण राशि की अपर्याप्तता भी एक बड़ी समस्या है। अधिकांश छोटे किसानों की शिकायत होती है कि बढ़ती महंगाई और इनपुट लागत के अनुसार उनकी ऋण सीमा काफी कम है। लचीलेपन का अभाव एक बड़ी समस्या है। कई क्षेत्रों में बैंकों द्वारा केसीसी का नवीनीकरण समय पर नहीं किया जाता है, जिससे किसान साहूकारों के पास जाने को मजबूर होते हैं, परिणामस्वरूप किसानों की आय और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

यद्यपि केसीसी योजना किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, फिर भी इसकी कुछ व्यावहारिक सीमाएँ हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं (62 प्रतिशत) ने ऋण राशि को अपर्याप्त तथा (64 प्रतिशत) ने योजना में लचीलेपन के अभाव को प्रमुख समस्या बताया। इसलिए केसीसी योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऋण सीमा में वृद्धि, कृषि लागत के अनुरूप वित्तीय सहायता तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं में अधिक लचीलापन प्रदान करना आवश्यक है। कुल मिलाकर, केसीसी वित्तीय समावेशन का एक बेहद मजबूत उपकरण है। हालांकि, छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और डिजिटल रूप से ऋण वितरण को पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है।

6. निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसान क्रेडिट कार्ड के आने से किसानों की आर्थिक जिंदगी पर काफी असर पड़ा है। अब उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने या खेती के लिए थोड़े समय के लिए पैसे जुटाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसके बजाय, उन्हें कम ब्याज दर पर आसानी से लोन मिल जाता है। इससे वे अपनी जरूरतें पूरी कर पाते हैं, नया लोन पाने के लिए समय पर लोन चुका पाते हैं और ब्याज दरों में छूट का फायदा भी उठा पाते हैं। किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रभाव अत्यधिक सकारात्मक रहा है। इसने ग्रामीण और छोटे किसानों को साहूकारों जैसे अनौपचारिक स्रोतों से निकालकर संस्थागत, किफायती (4 प्रतिशत तक ब्याज दर) और बिना गारंटी वाले ऋण तक पहुँच प्रदान की है। इसके उपयोग से कृषि निवेश, उत्पादकता और किसानों की वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि हुई है, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड योजना का किसानों की वित्तीय स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव पडा है।

केसीसी से अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता में कमी आई है, इसने किसानों को साहूकारों और बिचौलियों के शोषण से बचाया है। किफायती ब्याज दरों पर ऋण मिलने से किसानों का वित्तीय बोझ कम हुआ है। समय पर ऋण की उपलब्धता ने किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और आधुनिक उपकरण समय पर खरीदने में सक्षम बनाया है। रुपे–सक्षम कार्ड और किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से डिजिटल लेनदेन और आसान निकासी की सुविधा ने किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल किया है। अब किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत केवल खेती ही नहीं, बल्कि पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और अन्य संबद्ध गतिविधियों को भी कवर किया गया है, जिससे किसानों की आय के स्रोत मजबूत हुए हैं।

कृषि संबंधी कार्यों के लिए किसानों को पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीसी योजना शुरू की गई थी। भारत सरकार किसानों को 2 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी और 3 प्रतिशत का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करती है, जो क्रेडिट को सस्ता और सुगम बनाती है। किसान क्रेडिट कार्ड ने किसानों को उनके कृषि गतिविधियों मे सहायता देने के साथ साथ उन्हे कृषि की आवश्यकतायों हेतु ऋण तो प्रदान करता ही है और उन्हे साथ ही बीमा योजना देता है जिससे कि उन्हे फसल के खराब हो जाने पर या प्राकृतिक आपदायों के कारण चिंतित होने की परेशानी का कम ही सामना करना पड़ता है। परंतु इन सभी सुविधायों के होते हुए भी कुछ अन्य समस्याएं भी है जिनको अगर ध्यान दिया जाए और उनका समुचित समाधान किया जाए तो किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा।

शोध अध्ययन के दौरान, लगभग सभी किसानों ने यह राय दी कि ब्याज दरों को कम किया जाना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर कम दरें होने से लोन चुकाना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्याज दरों में कटौती से लोन चुकाने में अभी आ रही छोटी–मोटी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और यह प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। हालांकि किसान क्रेडिट कार्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, लेकिन सभी बैंकों ने अपने डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह से सुव्यवस्थित नहीं किया है। इस डिजिटलीकरण को और व्यवस्थित बनाना एक बड़ा कदम होगा। इससे किसान आसानी से अपने अकाउंट की जानकारी देख सकेंगे और लेन–देन कर सकेंगे, जिससे उन्हें बार–बार बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

जीवन–यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए, केसीसी से मिलने वाला क्रेडिट किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा हैय इसलिए, किसानों की बदलती जरूरतों और महंगाई को ध्यान में रखते हुए, क्रेडिट लिमिट बढ़ाने पर विचार करने की गुंजाइश है। किसानों को केसीसी के फायदों और इसके सही इस्तेमाल के बारे में शिक्षित करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करना बहुत जरूरी है। जानकारीध्जागरूकता की कमी के कारण अक्सर किसान जरूरी बातों से अनजान रह जाते हैंय जैसे कि समय पर लोन चुकाने पर मिलने वाली ब्याज दर में छूट आदि। केसीसी का इस्तेमाल खेती से संबद्ध कामों जैसे छोटे–मोटे बिजनेस के लिए करने की इजाजत मिलने से किसान केसीसी का इस्तेमाल छोटे स्तर के उद्यमों या हस्तशिल्प उद्योगों के लिए कर सकते हैं, जिससे वे ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

स्रोत एवं संदर्भः

1. नाबार्ड (2016)। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन पर अध्ययन, आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान विभाग, 2016 ।
2. कुमार, वी. के. सोनकर एवं ए. के. एस (2021)। ग्रामीण भारत में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण देने के प्रभाव का आकलनरू पूर्वी भारत से साक्ष्य, 2021। doi:10.2499/p15738coll2.134240
3. तन्ना (2021)। सतत विकास के लिए किसान क्रेडिट कार्ड में डेटा एनालिटिक्स की भूमिका, इंटरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च इन एप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम 9, नंबर VI, पेज 1157–1165, जून 2021।
4. के. पाटिल (2021)। पश्चिमी महाराष्ट्र में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से कृषि विकास, इंटरनेशनल जर्नल इन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, वॉल्यूम 09, इश्यू 2, 2021।
5. आर. कुरुप (2021)। किसान क्रेडिट कार्ड प्रणालीः भारत में छोटे किसानों के लिए एक वरदान, इंटरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च इन एप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम 9, नंबर VI, पेज 5206–5208, जून 2021।
6. पाटिल, आर. डी. (2014)। भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च, वॉल्यूम 3, नंबर 5 (4), पृष्ठ 31–46।
7. सरकार, पी.य बर्मन, के. के. (2014)। असम में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति और प्रदर्शनः कामरूप जिले में एक केस स्टडी, द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल स्टडीज, वॉल्यूम 2, नंबर (3), पेज 101–105।
8. गांधीमथी, एस.य सुमैया, एम. (2015)। भारत में कृषि ऋण वितरण में किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली की भूमिका, इंटरनेशनल जर्नल इन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, वॉल्यूम 3, नंबर (2), पेज 464–472।
9. नेरेलाय जे. (2015)। किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिकारू भारत में कृषि, ग्लोबल जर्नल फॉर रिसर्च एनालिसिस, वॉल्यूम 4, नंबर (5), पेज 167–168।
10. राजामोहन, एस.य सुभा, के (2014)। भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजनाः वित्तीय समावेशन का एक पहलू, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, वॉल्यूम 3, नंबर 10, पेज 234–236, 2014।
11. एस. आर. सामंतरा (2017)। अरुणाचल प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वित्तीय समावेशनः आंकड़ों के पीछे की सच्चाई, भारत में असमानता, गरीबी और विकास, पेज 145–158, 2017।
12. एम. सुमैया और एस. गांधीमथी (2015)। कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रभाव, एशियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, वॉल्यूम 5, नंबर 2, पेज 175, 2015।
13. रीतू (2015)। भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के रुझान और प्रगति, ग्लोबल जर्नल फॉर रिसर्च एनालिसिस, वॉल्यूम 4, नंबर (9), पेज 329–331।
14. रहीम (2020)। तमिलनाडु की कृषि अर्थव्यवस्था में किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थी और गैर–लाभार्थी किसानों को तय करने वाले कारकः कॉब–डगलस मॉडल का एक अनुप्रयोग, जर्नल ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज एंड फाइनेंशियल रिसर्च, वॉल्यूम 1, नंबर 1, पेज 9–15, नवंबर 2020।

*****

आलेख उद्धरित करें :	कुमार, प्रतीक एवं मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह (2025)। चित्रकूट जिले में किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का अध्ययन, बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–1, अंक–2, अक्टूबर–दिसंबर 2025, पृष्ठ 40–51।